

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भानुप्रतापपुर
जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

रा.प्र.क. / 20.2506.140.500025. / अ-62 / 2024-25
ग्राम कन्हारगोव, प.ह.नं. -05, तहसील भानुप्रतापपुर

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पंचायत भानुप्रतापपुर
जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

विरुद्ध

छ.ग. शासन

आदेश

(प्रारूप ड)
(पारित दिनांक /06/2025)

आवेदक विभाग मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत भानुप्रतापपुर जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) द्वारा नगर पंचायत भानुप्रतापपुर में जल प्रदाय योजना के तहत खण्डी नदी के पास जल शोधन संयंत्र का निर्माण ग्राम कन्हारगोव स्थित खसरा नंबर 267/7 रकबा 1.00 हे. में स्थित पेड़ों को काटे जाने की अनुमति हेतु पत्र क्रमांक /630/अमृत मिशन/2.0/नं.प./2024-25, भानुप्रतापपुर, दिनांक 03.01.2025 प्राप्त हुआ। उक्त संबंध में तहसीलदार भानुप्रतापपुर को वन विभाग के अभिमत सहित जांच प्रतिवेदन हेतु पत्र जारी किया गया।

तहसीलदार भानुप्रतापपुर के जांच प्रतिवेदन, राजस्व निरीक्षक भानुप्रतापपुर एवं परिक्षेत्र सहायक वन भानुप्रतापपुर के संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन प्रारूप ख से सहमत होते हुए ग्राम कन्हारगोव, तहसील भानुप्रतापपुर स्थित आवेदित खसरा नंबर 267/7 रकबा 1.00 हे. में से कुल 28 वृक्ष को काटे जाने की अनुमति दिया जाता है।

क	खसरा नं.	रकबा	भूमि का प्रकार	वृक्ष का नाम	वृक्षों की गोलाई	वृक्ष का संख्या	स्थिति	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	267/7	1.00	शासकीय	गुलमोहर	0.80	1	हरा	
2				गुलमोहर	0.70	1	हरा	
3				साजा	1.80	1	हरा	
4				तेन्दू	1.40	1	हरा	
5				गुलमोहर	1.35	1	हरा	
6				शीरम	1.45	1	हरा	



7				गुलमोहर	0.80	1	हरा	
8	267 / 7	1.00	शासकीय	तेन्दू	1.80	1	हरा	
9				सेन्हा	1.70	1	हरा	
10				शीरम	1.45	1	हरा	
11				शीरम	1.20	1	हरा	
12				शीरम	0.80	1	हरा	
13				शीरम	1.10	1	हरा	
14				पलाश	1.30	1	हरा	
15				चार	0.85	1	हरा	
16				पलाश	1.70	1	हरा	
17				पलाश	1.25	1	हरा	
18				पलाश	0.90	1	हरा	
19				तेन्दू	1.10	1	हरा	
20				साजा	1.75	1	हरा	
21				तेन्दू	1.60	1	हरा	
22				सजा	1.50	1	हरा	
23				पलाश	1.00	1	हरा	
24				कुसुम	2.65	1	हरा	
25				अर्जुन	1.45	1	हरा	
26				पलाश	1.25	1	हरा	
27				साजा	1.45	1	हरा	
28				पलाश	1.25	1	हरा	
कुल वृक्षों की संख्या 28 नग								

वृक्ष कटाई हेतु शर्त :-

1. उक्त भूमि पर स्थित प्रभावित वृक्षों को काटने की कार्यवाही राजस्व विभाग, वन विभाग, नगर पंचायत विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।
2. वन विभाग द्वारा वृक्षों की कटाई पश्चात् विभाग के डिपों में परिवहन किया जावेगा, तथा परिवहन किये गये काष्ठ को नियमानुसार निवर्तन कर काष्ठ की राशि शासकीय राजस्व नग में जमा किया जायेगा।

3. आवेदक विभाग मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांगेर के कार्यालय में नियमानुसार जमा किया जावेगा।
4. प्रकरण में तहसीलदार भानुप्रतापपुर के प्रतिवेदन, राजस्व निरीक्षक भानुप्रतापपुर एवं सहायक परिक्षेत्र अधिकारी वन भानुप्रतापपुर के आधार पर जनहित में तपरोक्तानुसार वृक्षों को काटने की अनुमति दिया जाता है। भविष्य में यदि किसी प्रकार का विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है, तो इसके लिये आवेदक विभाग जिम्मेदार होगा।


 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
 भानुप्रतापपुर
 जिला उत्तर बस्तर कांगेर (उ.प्र.)
 भानुप्रतापपुर, दिनांक 20/06/2025

पृ. क. / 1362 / अ.वि.अ. / रीडर / 2025
 प्रतिलिपी:-

1. कलेक्टर जिला उत्तर बस्तर कांगेर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. वनमण्डलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांगेर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. तहसीलदार भानुप्रतापपुर को वृक्ष कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करने आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत भानुप्रतापपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।




 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
 भानुप्रतापपुर
 जिला उत्तर बस्तर कांगेर (उ.प्र.)